राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मंगलराम बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15/04/2026 को पेश हो |	
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो |	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/09/2016 पारित करते हुये तहसीलदार को ग्राम दादियापट्टी प.ह. धर्मपुरा के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.35 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस-नरस कब्जा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मंगलराम बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	468/2018	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नही समझ जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 यथावत रखे जाते है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |